

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9/01/2009/नि./चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय:- दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ:- इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/1/2007/नियम/चार, दिनांक 16-5-2007 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25-6-2007 एवं परिपत्र दिनांक 15-1-2008

---0---


संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 1-4-2007 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

2/ संदर्भित परिपत्र के संबंध में शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11-10-1999 में सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)/रीडर/महाविद्यालयीन प्राध्यापक/स्नातक प्राचार्य जिनकी सेवा दिनांक 1-1-1996 को पांच वर्ष हो चुकी है को वेतनमान 3700-5700 के तत्स्थानी वेतनमान 12000-420-18300 में न्यूनतम वेतन रूपये 14940/- पर वेतन निर्धारण करने के निर्देश है । परन्तु इसके अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन की राशि हेतु न्यूनतम वेतन रूपये 14940/- मान्य नहीं किया जा रहा है ।

3/ उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ -1/233/99/38-1/99, दिनांक 11-10-1999 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)/रीडर/महाविद्यालयीन प्राध्यापक/स्नातक प्राचार्य हेतु उनको दिनांक 1-1-96 से लागू वेतनमानों के न्यूनतम के स्थान पर रूपये 14940/- को आधार मानकार पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(जी.पी.सिंघल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की और उनके पत्र क्रमांक 141/276-बी/वित्त/नियम/ चार/08, दिनांक 30-6-2008 में अंकित सहमति सहित सूचनार्थ प्रेषित ।
26. गार्ड फाईल
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग